UPMP040068962026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–2 मैनपुरी ।

परिवाद संख्या-694/2023
धारा-498A,,323 IPC & 3/4 D.P.Act
थाना-कोतवाली, जिला- मैनपुरी

गीता बनाम आनन्द आदि ।

आदेश

02.04.2026

1. अभियुक्त रामशंकर पुत्र सीताराम की ओर से परिवाद संख्या-694/2023, अन्तर्गत धारा-498A,,323 IPC & 3/4 D.P.Act थाना-कोतवाली, जिला- मैनपुरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आया है ।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त के अन्तर्गत निर्दोष एवं निरपराध है एवं प्रकरण उपरोक्त के अन्तर्गत द्वेषभावाना से प्रेरित हो कर वादिनी द्वारा प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है । प्रार्थी द्वारा वादिनी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त दहेज की मांग कभी नहीं की गयी है । अतः प्रार्थी की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

4. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं आत्मसमर्पण किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण वैवाहिक विवाद व परिवाद पर आधारित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त परिवादिनी के ससुर हैं। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

5. अतः अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है ।

(रूबी सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या–2, मैनपुरी
J.O.CODE–UP4705

Typed by:-
V. Singh